रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 650] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 17, 2018/भाद्र 26, 1940
No. 650] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 17, 2018/BHADRA 26, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 885(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, अध्याय 15 में अध्याय के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"ऋणों की पुनःसंरचना"

3. उक्त नियमों के नियम 26 में निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

"संभावित रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रम के ऋणों की पुनःसंरचना"

4. उक्त नियमों के नियम 26 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"नियम 26क. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ऋणों की पुनःसंरचना - यदि किसी राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा आने पर उस राज्य की सरकार ने राज्य के राजपत्र में ऐसी आपदा को घोषित किया है, तो भारत सरकार उस राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर ऋण चुकाने के लिए ऐसी अवधि तक स्थगन प्रदान कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे, ऋण चुकाने की अवधि बढ़ा सकेगी और तदनुसार, इन नियमों के अनुसार स्वीकृत किए गए ऋण को चुकाने की पुनःसंरचना कर सकेगी"।

[फा. सं. 14-2/2018-एसडीएफ (पार्ट)]
सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव (शर्करा एवं प्रशासन)

212892/2018/SO(SDF)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 752 (अ), तारीख 27 सितंबर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 23 (अ) तारीख 13 जनवरी, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2018

G.S.R. 885(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely.-

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983 (hereinafter referred to as the said rules), in Chapter XV, for the Chapter heading, the following Chapter heading shall be substituted, namely:-

" Restructuring of loans".

3. In the said rules, in rule 26, the following marginal heading shall be inserted, namely:-

"Restructuring of loans of potentially viable sick sugar undertaking".

4. In the said rules, after rule 26, the following rule shall be inserted, namely:-

"26A. Restructuring of loans affected by natural calamities.- Where, on occurrence of any natural calamity in a State, the Government of that State has declared such calamity in the Official Gazette of the State, the Central Government may, on the request from that State Government, grant moratorium for such period, as it deems fit, for repayment of loan, extend the period for repayment of loan and accordingly restructure the repayment of the loan granted in accordance with these rules".

[F. No. 14-2/2018-SDF (Part)]

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy. (Sugar and Administration)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 752 (E) dated the 27th September, 1983 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 23 (E), dated the 13th January, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.09.17 19:33:25 +05'30'